निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 श्रावण 1933 (श0)

(सं0 पटना 381) पटना, सोमवार, 1 अगस्त 2011

सं0 3ए–2–वे0पु0(परि0भत्ता)–22/2009—7039

वित्त विभाग

संकल्प

29 जुलाई 2011

विषयः—दिल्ली कार्यालयों में पदस्थापित राज्य के सरकारी सेवकों को स्वीकृत शहरी परिवहन भत्ता (City Transport Allowance) को नये वेतन पुनरीक्षण के आलोक में अनुमान्यता के संबंध में।

वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प सं0 12414, दिनांक 31 दिसम्बर 2009 के द्वारा पटना (यू0 ए0) में पदस्थापित राज्य के सरकारी सेवको को परिवहन भत्ता एवं नगर क्षतिपूर्ति भत्ता को एकीकृत कर निम्नांकित दर से शहरी परिवहन भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई थी ।

वेतनमान (अपुनरीक्षित)	वर्त्तमान दर (परिवहन भत्ता+ नगर क्षतिपूरक भत्ता)	पुनरीक्षित दर (शहरी परिवहन भत्ता)
8000–13500 एवं अधिक	400 रू0 प्रतिमाह+180 रू0 प्रतिमाह	1000 रू0 प्रतिमाह
6500–10500 से 7500–12000	200 रू0 प्रतिमाह+100 रू0 प्रतिमाह	700 रू0 प्रतिमाह
5500–9000 एवं उससे कम	75 रू0 प्रतिमाह+65 रू0 प्रतिमाह	400 रू0 प्रतिमाह

2. वित्त विभाग के संकल्प सं0 630, दिनांक 21 जनवरी 2010 द्वारा राज्य कर्मियों का वेतन पुनरीक्षण किया गया है जिसमें वेतन बैंड और ग्रेड–पे की व्यवस्था है । सरकार द्वारा स्वीकृत शहरी परिवहन भत्ता को नये वेतन पुनरीक्षण के संदर्भ में दिल्ली में कार्यरत वैसे कर्मियों को जो बिहार भवन/निवास परिसर से बाहर रहते हैं और जिन्हें आवास से कार्यालय आने के लिए अपेक्षाकृत ज्यादा व्यय परिवहन पर करना पड़ता है, के लिए परिवहन भत्ता की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव भी विचाराधीन था ।

3. सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा भी ग्रेड–पे आधारित शहरी परिवहन भत्ते को दिल्ली में कार्यरत कर्मियों को निम्नांकित प्रकार से प्रभावी करने का निर्णय लिया गया है :–

ग्रेड–पे	पुनरीक्षित दर (शहरी परिवहन भत्ता)	
	(बिहार निवास/भवन, दिल्ली परिसर में आवासित कर्मी के लिए)	राज्य सरकार के दिल्ली में कार्यरत वैसे कर्मी जो कार्यालय परिसर से बाहर रहते हैं, के लिए
5400 एवं उससे अधिक	1000 रू0 प्रतिमाह	2100 रू0 प्रतिमाह
4200, 4600 एवं 4800	700 रू0 प्रतिमाह	1400 रू0 प्रतिमाह
4200 से कम	400 रू0 प्रतिमाह	600 रू0 प्रतिमाह

4. शहरी परिवहन भत्ता की संशोधित दर आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी ।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं0 12414, दिनांक 31 दिसम्बर 2009 की कंडिका–2 को यथा संशोधित समझा जाय। अन्य शर्त्तें एवं कंडिकाएं यथावत् प्रभावी रहेगी ।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मदन मोहन प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 381-571+200-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in